

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश

ज्ञापक - जी/आपदा-06-02/2020-2633

पटना, दिनांक 09 अप्रैल, 2021

दिनांक-09.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त संबंध में एतद् द्वारा निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

1. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी।

निम्नलिखित क्रमांक 02 से 12 पर अंकित निर्णयों को 30 अप्रैल, 2021 तक लागू किया जाएगा-

2. सभी दुकानें/प्रतिष्ठान संध्या 07 बजे तक ही खुलेंगे। उक्त रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं होगी।

दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा:-

- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
 - दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
 - दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे।
3. रेस्टोरेंट/ढाबा/भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस (Take away service) का संचालन अनुमान्य होगा।
4. सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे।
5. सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा।
6. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
7. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा-पुलिस, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी।

8. सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
9. प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।
10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों-सरकारी एवं निजी- पर रोक रहेगी।
11. अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
12. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा-फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक-से-अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय। सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय, यथा-मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन हो।

(अरुण कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020-2633

पटना, दिनांक 09 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि:- सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ उप-महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभागाध्यक्ष
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- जी/आपदा-06-02/2020- 2633

पटना, दिनांक 09 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विभागाध्यक्ष
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020-2633

पटना, दिनांक 09 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि:- गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

विभागाध्यक्ष
सरकार के विशेष सचिव